अवर न्यायाधीश

सोनपुर, सारण।

हकितय वाद सं0– 139 सन् 2019

बसावन पासवान.....वादी

बनाम

सोनेलाल पासवान व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–06.10.2020

उभय पक्षों की ओर से कोई हाजिरी नहीं दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से दिनांक–07.03.2020 को आदेश 22 नियम 3 (1) एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल कर कथन है कि इस वाद में एकमात्र वादी बसावन पासवान की मत्यु दिनांक–03.01.2020 को नीच लिखित उत्तराधिकारी को छोड़कर हो गई। ऐसी परिस्थिति में न्यायाहित में वादपत्र में वादी बसावन पासवान का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादपत्र से वादी बसावन पासवान का नाम काटकर उनके स्थान पर निम्नलिखित वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए–

1. पानपति देवी जौजे– बसावन पासवान

1 (क). कृष्णा पासवान वल्द बसावन पासवान

1 (ख). बालदेव पासवान वल्द बसावन पासवान

1 (ग) राजदेव पासवान वल्द बसावन पासवान

1 (घ) प्रमिला देवी वल्द बसावन पासवान

प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन में नो आब्जेक्शन लिखा गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह हकियत वाद एकमात्र वादी बसावन पासवान के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल किया गया है। एकमात्र वादी की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु यह प्रतिस्थापना आवेदन वादी की ओर से उनके वारिसानों के द्वारा दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वे एकमात्र वादी बसावन पासवान का नाम वादपत्र से काटकर उनके स्थान पर उनके वारिसानों को नाम प्रतिस्थापित करें।

वास्ते दिनांक– 19.10.2020

सब जज

सोनपुर, सारण।